6

34

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक : एफ 61 (5)SSAAT/विविध/2019

दिनांक

कार्यालय आदेश,

मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी./मं.म./49/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे संबंधित कार्यकमों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग को समाप्त कर स्वतंत्र रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.2 के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रचलित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (RTPP Act), 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम (RTPP Rules), 2013 एवं लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम (PWF&AR) सोसायटी के किया कलापों के संचालन हेतु अंगीकृत (Adopt) किये गये है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के कम में कार्यालय आदेश क्रमांक : एफ 61 (5)SSAAT/विविध/2019/7386–7409 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

अतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधानान्तर्गत एवं कार्यकारी समिति (SSAAT) की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 की पालनार्थ मैं रामावतार शर्मा, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) इस सोसायटी के कार्यालय कार्य सम्पादन हेतु श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, लेखाधिकारी को (उप निदेशक के पदस्थापन तक) एतद् द्वारा कार्यालयध्यक्ष एवं श्री अजय कुमार गुप्ता सहा.लेखाधिकारी ग्रेड–I को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करता हूँ। उपरोक्त अधिकारीगण सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय/कार्यकारी समिति के निर्णयों/दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार में प्रचलित नियमों के प्रावधानान्तर्गत उचित कार्यवाही करेंगे।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य–सचिव
कार्यकारी समिति, SSAAT

क्रमांक : एफ 61 (5)SSAAT/विविध/2019 / 7413-20

दिनांक 4/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो., शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
5. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
6. श्री अजय कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय हाजा।
7. समस्त अधिकारीगण कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

4/3/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक